

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 2013-2014 तथा 2014-2015 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2012-2013	बजट अनुमान 2013-2014	संशोधित अनुमान 2013-2014	बजट अनुमान 2014-2015
क. ऋण	23,308.79	27,646.27	23,564.75	28,175.04
ख. नकद अनुदान	2,158.86	1,456.13	2,885.63	2,404.51
ग. वस्तु अनुदान सहायता	151.94	...	249.21	...
घ. जोड़ (क+ख+ग)	25,619.59	29,102.40	26,699.59	30,579.55
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	16,107.59	17,086.17	18,124.26	22,441.26
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	9,512.00	12,016.23	8,575.33	8,138.29
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	4,019.31	4,276.24	3,987.41	4,070.24
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	5,492.69	7,739.99	4,587.92	4,068.05

द्विपक्षीय विकास सहयोग नीति के अनुसार जी-8 के सभी देशों नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रूसी संघ के साथ यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त की जा रही है।

उन द्विपक्षीय विकास साझेदारों, जिनसे सरकारी स्तर पर विकास सहायता प्राप्त न करने का निर्णय लिया गया है, को सलाह दी गई है कि वे अपनी विकास सहायता भारत में गैर-सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों आदि को प्रदान करने पर विचार करें। यह भी सुझाव दिया गया है कि वे अपनी विकास सहायता बहुपक्षीय विकास अभिकरणों के माध्यम से देने पर विचार करें।

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क) द्विपक्षीय

I. फ्रांस

1. फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से प्रदान की जा रही है, और भारत में एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र वैश्विक सार्वजनिक सामान के स्थायी प्रबंधन और जैव-विविधता का परिरक्षण हैं। 2013-14 के दौरान दो परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एएफडी ने 133 मिलियन यूरो की वित्तीय सहायता की नई वचनबद्धता की है।

II. जर्मनी

संघीय गणराज्य जर्मनी 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय कार्यक्रमों का केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये कार्यान्वयन किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और परिरक्षणीय प्रयोग, स्थायी आर्थिक विकास। भारत सरकार और जर्मनी ने 2012-13 के दौरान ₹ 4,441 करोड़ करोड़ की अनाहरित वचनबद्ध राशि के आठ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

III. जापान

जापान 1958 से भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता प्रदान करता आ रहा है, जो जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। इसकी वर्तमान सहायता मुख्य रूप से शहरी विकास (जन परिवहन प्रणाली सहित), जलापूर्ति और स्वच्छता,

अवसंरचना (रेलवे) और वातावरण तथा वानिकी जैसे क्षेत्रों में है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जेआईसीए ने दो परियोजनाओं (मुम्बई मेट्रो लाइन-III परियोजना और तमिलनाडु निवेश संवर्द्धन कार्यक्रम) के लिए 84 बिलियन जेपीवाई की वचनबद्धता की है। 2013-14 के दौरान ऋण की प्राप्ति ₹ 8,324.45 करोड़ थी।

IV. रूसी परिसंघ

कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (केकेएनपीपी) दो यूनिट (2x1000 मेगावाट) की नाभिकीय विद्युत परियोजना है और भारत और रूसी परिसंघ के बीच हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी करार (आईजीए) के उपबंधों के अंतर्गत तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुंडनकुलम में बनायी जा रही है। करार के अनुसार रूसी परिसंघ ने 2600 मिलियन अमरीकी डालर का सरकारी ऋण दिया है।

V. यूनाइटेड किंगडम (यूके)

यूनाइटेड किंगडम (यूके) 1958 से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है। यह सहायता स्वास्थ्य, शिक्षा, स्लम विकास आदि के क्षेत्रों में मुख्यतः मिलेनियम विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्राप्त की जाती है। यू.के. से सहायता वित्तीय अनुदानों और तकनीकी सहयोग के रूप में पारस्परिक रूप से सहमत सरकारी के साथ-साथ गैर सरकारी परियोजनाओं में प्रवाहित होती है। वर्तमान में ओड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार वे राज्य हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग अपनी सहायता दे रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान डीएफआईडी से कुल संवितरण ₹ 855 करोड़ बैठता है।

VI. संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसएड)

भारत को संयुक्त राज्य अमरीका की द्विपक्षीय सहायता 1951 में शुरू हुई। यह सहायता मुख्यतया अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएड) के मार्फत संचालित होती है। यूएसएड भारत सरकार के साथ स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढीकरण; खाद्य सुरक्षा देने वाली प्रतिकृति योग्य मॉडलों का विकास करने; न्यून उत्सर्जन और उर्जा सुरक्षा अर्थव्यवस्था की और अंतरण तेज करने ग्रीनहाउस गैस कम करने और उत्सर्जन न्यून करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का भागीदार है। 2013-14 के दौरान अनुदान की प्राप्ति ₹ 43.41 करोड़ था।

ख. बहुपक्षीय

I. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

भारत सरकार द्वारा अपनाई गई समग्र विदेशी ऋण प्रबंधन नीति के जरिये भारत एशियाई विकास बैंक से उधार लेता है। एडीबी द्वारा दिया गया ऋण मुख्यतया अवसंरचना, वित्तीय पुनर्संरचना/सूक्ष्म वित्त और कृषि क्षेत्र में होता है। एडीबी से भारत को संचयी ऋण सहायता 1986 के बाद से 29.34 बिलियन अमरीकी डालर है, जो 180 परियोजनाओं के लिए है। वर्तमान में 8.38 बिलियन अमरीकी डालर के 63 चालू ऋण हैं। 2014-15 के दौरान एडीबी से 1.2 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त होने का अनुमान है।

II. यूरोपीय संघ (ईयू)

यूरोपीय संघ 1976 से भारत को विकास सहयोग सहायता प्रदान कर रहा है। यह वर्तमान में स्वास्थ्य और शिक्षा दो प्राथमिकता प्राप्त सेक्टरों में अनुदान दे रहा है। यूरोपीय संघ देशीय कार्यनीतिक दस्तावेज के जरिए विकास सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। सीएसपी 2007-13 हेतु यूरोपीय संघ से कुल अनुदान 365 बिलियन यूरो है।

III. वैश्विक निधि संगठन

यह वैश्विक निधि वैश्विक सरकारी/निजी भागीदारी है जो एचआईवी/एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए समर्पित है। सरकारों, सिविल सोसाइटी, निजी क्षेत्र और प्रभावित समुदायों के बीच भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य वित्तपोषण के लिए एक नए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। वैश्विक निधि इन तीन बीमारियों से निपटने के लिए वर्तमान प्रयासों को सहायता देने हेतु कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए प्रमुख स्रोत बन गया है। 2013-14 के दौरान ₹ 1,707 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया गया था।

IV. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों, गैर-ऋण सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देकर मध्यम आय वाले देशों और ऋण प्राप्त करने के योग्य निर्धन देशों में गरीबी को कम करना है। भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी से सहायता मुख्यतः अवसंरचना परियोजनाओं (विद्युत क्षेत्र तथा सड़कें) हेतु प्रयोग की जाती है। वर्तमान में 29 सरकारी ऋण संवितरण प्रक्रिया में हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान एक नए करार (द्वितीय केरल राज्य परिवहन परियोजना) पर वार्ता हुई है। 2013-14 के दौरान ₹ 2,402 करोड़ का ऋण मिला था।

V. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक का रियायती सहयोगी है और बैंक के गरीबी उन्मूलन अभियान को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तथापि, 1 जुलाई, 2011 से आईडीए ने अपनी उधार देने की शर्तों में परिवर्तन कर दिया है। अब ऋणों पर 1.25 प्रतिशत ब्याज तथा वार्षिक 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार लगता

है। भारत को आईडीए सहायता 1961 में शुरू हुई। वर्तमान में आईडीए ऋण विदेशी (सोवरेन) ऋण पोर्टफोलियों का सबसे बड़ा स्टॉक होता है। वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार और आईडीए के बीच चार नये करारों पर हस्ताक्षर किये गए। इस समय, 59 परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 6,742 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ था।

VI. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। 1979 से आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में 25 परियोजनाओं को सहायता दी है। इनमें से 15 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और शेष 10 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान आईएफएडी द्वारा ₹ 210 करोड़ का संवितरण किया गया।

VII. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में विकास सहयोग का सबसे बड़ा माध्यम है। यूएनडीपी का समग्र मिशन गरीबी उन्मूलन, महिला-पुरुष समानता, महिला सशक्तीकरण और पर्यावरणीय संरक्षण द्वारा स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कार्यक्रम वाले देशों की सहायता करना है। यह सहायता अनुदानों के रूप में होती है। मौजूदा देश कार्यक्रम में मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र विकास रूपरेखा करार (यूएनडीएएफ) के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों पर केंद्रित है। वर्ष 2013-17 के लिए 243.40 मिलियन अमरीकी डालर के परिव्यय वाली नई देश कार्यक्रम कार्य योजना पर 1.3.2013 को भारत सरकार और यूएनडीपी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।